कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जिला धमतरी (छ.ग.)

–:: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ::–

क्र0 18 /दो–06–03/2013 धमतरी, दिनांक –04/05/2024

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 04/ 05/2024
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि– 03/06/2024 सायं 05:00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड तीन के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, सेल अमीन) तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग अंतर्गत भृत्य के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र कमांक–**2764/982/21–ब/छ.ग./ 2024 रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुसार प्राप्त अनुमति** के तहत् अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से कुटुंब न्यायालय धमतरी में **दिनांक 03/ 06/2024 की संध्या 05:00 बजे** तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा :–

01. सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अजा				अजजा				अपिव				सामान्य			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20
01	सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक एवं सेल अमीन	02	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
02	भृत्य	01	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	03	–	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–	01	–	–	–

02– भर्ती हेतु अन्य सामान्य शर्ते :–

(1) **सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, सेल अमीन) के लिए :–**

(अ) **वेतनमान** :–वेतन मैट्रिक्स **लेवल–4 (19500–62000)**

(ब)– **शैक्षणिक योग्यता :–**

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण** हो।

(2) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से **कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।**

(3) कम्प्यूटर में **हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन** का ज्ञान।

(4) यह अपेक्षित है कि उम्मीद्वार को **छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान** होना चाहिये।

(2) <u>"भृत्य" पद के लिए – वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–01 (15600–49400)</u>

(अ)– **शैक्षणिक योग्यता :–**

(1) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात **कक्षा आठवीं की परीक्षा** उत्तीर्ण हो।

(2) यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली / स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

महत्वपूर्ण :–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेजारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा कर सकते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जॉच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

03– आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–

(1) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) कोई पुरूष उम्मीद्वार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) उम्मीद्वार दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परंतु 30 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की उम्र 35 वर्ष हो तथा उसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कलेण्डर वर्ष दिनांक 31.12.2028 की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।

(4) छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ–3–2 / 2015 / 1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

(6) भूतपूर्व सैनिक हेतु विज्ञापित पद में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में राज्य भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय राजभवन रायपुर से प्राप्त अनुमति के तहत् उसी जाति वर्ग के अन्य उम्मीद्वार से भर्ती की जा सकेगी।

04– उच्चतर आयु सीमा में छूट :–

4 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित् अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

4 (एक)(2)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम् आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

4 (एक)(3)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :–

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4 (एक)(4)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम् आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक)(5)– महिलाओं के लिये आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक)(6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक)(7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

4 (एक)(8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेंटरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये, दी जायेगी किंतु किसी भी दशा में उनकी अधितम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

4 (एक)(9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

4 (एक)(10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टीहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

4 (दो)(01) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति** एवं **अन्य पिछड़ा वर्ग** कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट : – आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4 (दो)(02)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाडियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीपः— (अ) बिन्दु क्रमांक 4(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(ब) बिन्दु क्रमांक 4(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ और दी जायेगी। अंतरजातीय विवाह के लिये निर्धारित छूट नहीं दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :— अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग.शासन) द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

05— आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

(1) प्रत्येक पद के लिये पृथक—पृथक आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक—पृथक लिफाफा में प्रेषित् करना होगा।

(2) आवेदन पत्र विज्ञापन के साभ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये **आवेदन पत्र दिनांक 03/06/2024 की संध्या 05:00 बजे** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, **कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय धमतरी छ0ग0 में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे**। पंजीकृत डाक/स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर /ई—मेल/फैक्स या अन्य त्वरित माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **दिनांक 03/06/2024. की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं रोजगार जीवित पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रतियां सहित् अद्यतन पासपोर्ट फोटो प्रस्तुत करना होगा।

(3) आवेदन के साथ जन्मतिथि की सत्यता के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र अथवा पॉचवीं/आठवीं/दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो की भी स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

06— नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :—

(अ) साक्ष्य लेखक, सेल अमीन (सहायक ग्रेड तीन) के पद हेतु :—

(1) कौशल परीक्षा 100 अंको की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों को ''डिक्टेशन दिये जाने पर वांछित शब्दों को श्रवण कर टंकण/ टायपिंग पद्धति से दिये गये मेटर को 10 मिनट में शुद्धता से कम्प्युटर पर 'उबन्टू ओपन सोर्स आपरेटिंग सिस्टम' के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा। टायपिंग की प्रत्येक त्रुटि हेतु 1/2 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

टीपः— कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को **न्यूनतम् 33 % प्रतिशत् अंक** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) **सहायक ग्रेड तीन (साक्ष्य लेखक, सेल अमीन)** के पद हेतु आवेदकों की संख्या विज्ञापित पद के 25 गुणा से अधिक होने पर चयन समिति के निर्णयानुसार कौशल परीक्षा के अतिरिक्त लिखित परीक्षा भी लिया जा सकेगा। उक्त **लिखित परीक्षा कंप्युटर एवं सामान्य ज्ञान के संबंध में 100 अंक की ली** जावेगी।

(3) **कौशल /लिखित परीक्षा** हेतु बुलावा/ सूचना पत्र कार्यालय के वेबसाईड में अपलोड किए जावेंगें।

(ब) "भृत्य" के पद हेतु :—

(1) **भृत्य** के पद हेतु आवेदकों की संख्या अधिक होने पर **चयन समिति के निर्णयानुसार** कक्षा आठवी में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को **कौशल/ दक्षता परीक्षा** हेतु बुलाया जावेगा।

(2) कौशल परीक्षा/ दक्षता परीक्षा — 40 अंक

(3) साक्षात्कार — 10 अंक ।

भृत्य के पद हेतु कौशल/दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।

07— चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची :—

01— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/ अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय धमतरी (छ.ग.) को होगा।

02— उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

03— चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

04— आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के स्थायी/वैध जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।

05— चयन प्रकिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय धमतरी का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

06— चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

07— जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती हैं।

08— कौशल/लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जायेगा।

09— चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों के कार्य भी लिए जा सकेंगे।